सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 277 राँची, बुधवार, 6 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 27 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

26 सितम्बर, 2024

विषयः- मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित ''सखी निवास''के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति।

ज्ञापांकः-07/म0स0-सखी निवास-134/2024—2387--महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एक समग्र एवं समेकित योजना ''मिशन शक्ति'' क्रियान्वित है। इसके तहत् ''संबल'' तथा सामर्थ्य घटक कार्यक्रमों के तहत् विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक WW-23/1/2021-WW, दिनांक-14.07.2022 के माध्यम से विस्तृत मार्ग निर्देश निर्गत है। भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति का संचालन पन्द्रहवीं वित्त आयोग की अवधि यथा-वर्ष-2021-2026 की अवधि हेतु कार्यान्वित कराया जाना संसूचित है।

2. **सखी निवास-**कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित किफायती आवास सुविधा प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सखी निवास योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। विदित हो कि कामकाजी महिलाओं के लिए के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील बदलाव के साथ, अधिक से अधिक महिलाएं बड़े शहरों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण औद्योगिक समूहों में रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ रही हैं। ऐसी महिलाओं के सामने आने वाली मुख्य कठिनाइयों में से एक सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की कमी है। भारत सरकार ने ऐसी कामकाजी महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में चिंतित होकर, 1972-73 में शहरों, छोटे शहरों में कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए नए निर्माण/मौजूदा भवनों के विस्तार के लिए अनुदान सहायता की एक योजना शुरू की। योजना को 2017 में संशोधित किया गया था। हालांकि, मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर, मौजूदा योजना को कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अन्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए संशोधित किया गया है, जिन्हें अपने परिवारों से दूर रहने की आवश्यकता होती है ।

3. उल्लेखनीय है कि अन्य योजनाएं महिलाओं के बीच कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं, इनमें से कोई भी महिलाओं को भोजन और चिकित्सा सहायता के साथ सुरक्षित आवास जैसी सहायता सेवाएं प्रदान नहीं करती है। सखी निवास-कामकाजी महिला छात्रावास घटक इस महत्वपूर्ण अंतर को भर देगा। बदलती प्राथमिकताओं के कारण अधिक महिलाओं के रोजगार/कार्यबल में प्रवेश करने और रोजगार केंद्रों की ओर पलायन करने के कारण कामकाजी महिला छात्रावासों (WWH- Working Women Hostel) की बढ़ती मांग को देखते हुए भी यह आवश्यक है ।

4. सखी निवास योजना का एक अन्य उद्देश्य छात्रावासों में रहने वाली महिलाओं के लिए डे केयर सुविधाओं के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। डे केयर/पालना सुविधा, जहां भी संभव हो, स्लॉट की उपलब्धता के अधीन आसपास रहने वाली अन्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए भी खुली रहेगी। इस योजना के तहत जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति आदि के संबंध में बिना किसी भेदभाव के सभी कामकाजी महिलाओं को योजना के तहत निर्धारित मानदंडों के अधीन योजना का लाभ उपलब्ध कराई जाएंगी ।

5. सखी निवास की सुविधा का लाभ कोई भी कामकाजी महिला उठा सकती है, जो एकल, विधवा, तलाकशुदा, अलग या विवाहित हो, (जिसका परिवार एक ही शहर/क्षेत्र में नहीं रहता है)। समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवास की कमी होने पर शारीरिक रूप से अक्षम लाभार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं, उन्हें भी उपलब्धता के आधार पर आवास के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि कुल प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से अधिक न हो। भवन की कुल क्षमता के अनुसार नौकरियों के लिए प्रशिक्षणाधीन महिलाओं की संख्या भवन की कुल क्षमता के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कामकाजी माताओं के साथ आने वाली 18 वर्ष तक की लड़कियों और 12 वर्ष तक के लड़कों को उनकी माताओं के साथ आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कामकाजी माताएं योजना के तहत दी गई डे केयरसेंटर/पालना की सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं ।

6. लाभार्थियों की सकलआय 35000/-रुपये (प्रति माह) से अधिकन हीं होनी चाहिए ।

7. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के आधार पर और आवास की उपलब्धता के आधार पर आय सीमा में छूट दी जा सकती है। जबकि सी छात्रावास में पहले से रह रही किसी कामकाजी महिला की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो उसे आय सीमा पार करने के छह महीने की अवधि के भीतर छात्रावास खाली करना होगा ।

8. कार्यान्वयन संगठन/NGO/सेवा प्रदाता कामकाजी महिला छात्रावास के निवासियों से उचित किराया ले सकता है, जो एकल शयनकक्ष के मामले में उनकी कुल परिलब्धियों/सकल वेतन का 15% डबल शयन कक्ष के मामले में 10% और कवतउपजवतल के मामले में 7% से अधिक नहीं होगा। डे केयर सेंटर में बच्चों से ली जाने वाली फीस उनकी मां की परिलब्धियों का 5% या वास्तविक व्यय जो भी कम होली जाएगी। नौकरी के लिए प्रशिक्षण के तहत महिलाओं का किराया उसी सुविधा में रहने वाली किसी भी कामकाजी महिला से लिए जाने वाले न्यूनतम किराए से अधिक नहीं होगा। ऐसे प्रशिक्षुओं का किराया प्रशिक्षण प्रायोजित करने वाली संस्था/संगठन से लिया जाएगा और यदि यह संभव नहीं है तो स्वयं महिला से लिया जाएगा। किराए में मेंस और वॉशिंग मशीन जैसी अन्य सुविधाओं का उपयोग शामिल नहीं है, उसके लिए उपयोग कर्ता से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा ।

9. जहां तक संभव हो, बच्चों वाली महिलाओं को छात्रावास के बजाय सिंगल/डबल बेडरूम में ठहराया जाएगा। इस योजना के तहत किसी भी कामकाजी महिला को तीन साल से अधिक समय तक छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में, लिखित रूप से आवेदन करने पर कार्यान्वयन संगठन द्वारा कामकाजी महिलाओं को तीन साल की अवधि से अधिक, इस शर्त के अधीन छात्रावास में रहने की अनुमति दे सकता है कि विस्तार की अवधि एक साल में एक वर्ष से अधिकन हीं होगी। महिला का कुल प्रवास, विस्तार के साथ, पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

10. छात्रावासों की दैनिक आधार पर निगरानी और प्रबंधन छात्रावास प्रबंधन समिति (एचएमसी) द्वारा किया जाएगा, जो अपनी सिफारिशें और त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासी विभागान्तर्गत जिला प्राधिकार (जिला समाज कल्याण पदाधिकारी) को भेजेगी। एचएमसी की बैठक आमतौर पर एक पखवाड़े में एक बारहोगी। किसी ऐसे मुद्दे के मामले में जिसके लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता है, असाधारण बैठक आयोजित की जाएगी। एचएमसी की वार्षिक या द्विवार्षिक समीक्षा बैठकों में राष्ट्रीय/राज्य स्तर के अधिकारी भाग लेंगे ।

11. छात्रावास प्रबंधन समिति में निम्नरूपेण गठित की जाएगी:-

(i) जिला समाज कल्याण पदाधिकारी-अध्यक्ष

(ii) रेजिडेंट अधीक्षक-सदस्य

(iii) दो प्रतिनिधि, वरीय निवासियों के-सदस्य

(iv) उस क्षेत्र की प्रमुख महिला सामाजिक कार्यकर्ता/प्रतिनिधि-सदस्य

(v) अध्यक्ष द्वारा सहयोजित सामाजिक प्रतिष्ठा वाला कोई अन्य व्यक्ति-सदस्य

12. सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड (पीपीपी) में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना के लिए सेवा प्रदाता/एनजीओ/गैर-लाभकारी संगठनों के साथ सहयोग सेकी जाएगी। हालाँकि, साझेदारी में प्रवेश करने के लिए, संगठन की पृष्ठभूमिपूर्ववृत्त की जांच (पुलिस द्वारा) और जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा परिसर और सुविधाओं का निरीक्षण और प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, सुविधा को जारी रखने के लिए ऐसे निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार किए जायेंगे ।

13. वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जातीहै:

i. केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निमित्त "सखी निवास"के कार्यान्वयन हेतु योजना का अगले आदेश तक के लिए संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

ii. योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मार्ग निर्देशांक-WW-23/1/2021-WW, दिनांक-14.07.2022 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के अलोक में के अनुपालन में किया जायेगा ।

iii. वैसी स्वयंसेवी संस्था/सेवा प्रदाता जो सभी वांछनीय अर्हता जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, को पूर्ण करते हो के माध्यम से योजना का संचालन कराया जायेगा। योग्य स्वयंसेवी संस्था/सेवा प्रदाता का चयन हेतु प्रस्ताव संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा विभाग कोउपलब्ध कराया जायेगा।

iv. योजनान्तर्गत संचालित इन केन्द्रों में निम्न वर्णित मानव संसाधन की व्यवस्था चयनित NGO/सेवा प्रदाता द्वारा की जायेगी:-

a. Human Resource @ per Sakhi Niwas (recurring cost)

Position	**No. of Posts**	**Remuneration/per month/ per staff**	**Consolidated Remuneration/month/staff**	**Annual Expenditure (Rs.)**
1	**2**	**3**	**4 (Col. 2 x Col. 3)**	**5 (Col. 3 x 12)**
Sakhi Niwas Manager	1	15000	15000	180000
Warden	1	10050	10050	120600
Caretaker	3	9650	28950	347400
Security Guard/ Night Guard	3	10000	30000	360000
Total				**1008000**

b. चयनित NGO/सेवा प्रदाता द्वारा Non-Recurring Cost(गैर आवर्ती लागत) यथाOffice Table, Chair, Visiting Chair,Computer, Printer,Bed, Paper & Internet etc. का व्यय वहन किया जायेगा।

v. उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं अनुभव निम्नवत् होगा

a. Human Resource @ per Sakhi Niwas

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Qualification & Experience
1	Sakhi Niwas Manager	1	Graduate in Social Work/Psychology/Sociology with 03 years supervisory experience in running of such hostels. The Manager must live at the hostel and provide overall supervision to ensure smooth functioning of the hostel.
2	Warden	1	Graduate (with proficiency in computer operations). Preference will be given to those who have experience in handling women related laws / policies / programmes.
3	Caretaker	3	Higher Secondary/10+2 or equivalent qualification from a recognized Board with 2-years" experience as Caretaker of Building and Supervision of work of Multi-Tasking Staff or equivalent staff.
4	Security Guard/ Night Guard	3	The services could be outsourced to any person having at least 2 years" experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military / para-military personnel.

vi. सखी निवास अन्तर्गत निम्न सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी:-

Sl.No.	Facilities/amenities to be provided	Frequency/details
1.	Food	Breakfast, Lunch, Afternoon refreshment and Dinner (to be arranged by implementing agency on paid basis)
2.	Medical Aid	Need basis (to be arranged by implementing agency on paid basis)
3.	Security	To be arranged by implementing Agency
4.	Group activities	To be arranged by implementing agency, as per requirement
5.	Creche/Day care facility	Need basis (Paid services)

14. उपर्युक्त सभी पद पूर्ण रुप से अस्थाई एवं योजना अवधि तक होंगे। योजना समापन अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी प्रकार के संशोधन पर पद की प्रकृति, सृजित संख्या, पारिश्रमिकी भुगतान सहित अन्य शर्तें यथा समाप्त/संशोधित होंगे। एतद् क्रम में सेवा नियमितीकरण संबंधी आपूर्तिकर्त्ताओं/कर्मियों के किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा।

15. योजनान्तर्गत संचालित केन्द्रों के सुचारू कार्यान्वयन पर वार्षिक व्यय निम्नवत् की जायेगीः-

a. भारत सरकार द्वारा सखी निवास के संचालन हेतु निर्धारित राशिः-

SakhiNiwas rent for 1000 sq .m.	Rs. 450000
Sakhi Management Cost	Rs. 1008000
Repair of SakhiNiwas operated in Govt. Land every five year	Rs. 500000
Creach established in Sakhi Niwas	Rs. 90600
Total	**Rs. 2048600**

b. भारत सरकार द्वारा निम्न 06 जिलों में सखी निवास बनाए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है:-

क्रम सं0	जिला	सखी निवास की संख्या
1.	सरायकेलाखरसावॉ-	01
2.	देवघर	01
3.	धनबाद	01
4.	पलामू	01
5.	गिरिडीह	01
6.	बोकारो	01

c. राँची एवं खूँटी में पूर्व से सखी निवास संचालित हैं। धनबाद, देवघर, बोकारो, राँची तथा खूँटी में सरकारी भवन उपलब्ध है इन जिलों में सखी निवास के संचालन पर अनुमानित वार्षिक व्यय निम्नवत है-

Sakhi Management Cost	Rs. 10,08,000X5 (धनबाद, देवघर, बोकारो, राँची तथा खूँटी)	Rs. 50,40,000
Repair of SakhiNiwas operated in Govt. Land every five year	Rs. 5,00,000X5 (धनबाद, देवघर, बोकारो, राँची तथा खूँटी)	Rs. 25,00,000
Creach established in Sakhi Niwas	Rs. 90,600X5 (धनबाद, देवघर, बोकारो, राँची तथा खूँटी)	Rs. 4,53,000
Total		**Rs. 79,93,000**

d. गिरिडीह, सरायकेला एवं पलामू में सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है अतः इन जिलों में गैर-सरकारी भवनों में सखी निवास के संचालन पर अनुमानित वार्षिक व्यय निम्नवत् है –

SakhiNiwas rent for 1000 sq .m.	Rs. 4,50,000 X 3 (गिरिडीह, सरायकेला एवं पलामू)	Rs. 13,50,000
Sakhi Management Cost	Rs. 10,08,000 X 3 (गिरिडीह, सरायकेला एवं पलामू)	Rs. 30,24,000
Creach established in Sakhi Niwas	Rs. 90,600 X 3 (गिरिडीह, सरायकेला एवं पलामू)	Rs. 2,71,800
Total		**Rs. 46,45,800**

e. 08 सखी निवास के संचालन पर कुल संभावित वार्षिक व्यय निम्नवत् है-(c+d)
79,93,000+ 46,45,800रू0= 1,26,38,800रू0

16. योजना के कार्यान्वयन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 के व्यय अनुपात में किया जायेगा।

17. योजना का संचालन भविष्य में सभी जिलों में कराया जायेगा।

18. योजना का कार्यान्वयन SNA मापदंडों के आलोक में किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन संबंधी समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो के अनुपालन में कराया जायेगा।

19. भविष्य में गुणोत्तर व्यवस्था प्रतिस्थापन हेतु उपर्युक्त प्रावधानों में वित्त विभागीय सहमति से सकारात्मक संशोधन किया जा सकेगा।

20. योजना कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष2024-25 में केन्द्रांश अधीन रू०-291.12 लाख तथा राज्यांश अधीन रू०-108.68 लाख अर्थात कुल रू०-399.80 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है।

21. योजना कार्यान्वयन पर व्यय हेतु राशि की निकासी केन्द्रांश एवं राज्यांश के निम्नवत् शीर्षों:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-BR/सखी निवास योजना,

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण, उपशीर्ष-BR/सखी निवास योजनाके उपर्युक्त अनुगामी शीर्षोंइकाईयों के तहत् किया जायेगा।

22. एतद् प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

23. एतद् परराज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-20.09.2024 को संपन्न बैठक की मद संख्या-32 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 277 - 50